UPFR010023332026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रुखाबाद।

पीठासीनः– तरूण कुमार सिंह प्रथम... ... ...एच०जे०एस० UP6264

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 609/2026

गोपाल पुत्र कुशल पाल उर्फ किशनपाल, उम्र 23 वर्ष लगभग, निवासी– झकरई, थाना अलीगंज, जनपद एटा।

––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार एवं एक अन्य **––––––अभियोजन**

मु०अ०सं० – 50/2026

धारा – 108, 351(3) बी.एन.एस. व
धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी.एक्ट

थाना – कायमगंज

जनपद – फर्रुखाबाद

दिनांक: 15.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **गोपाल** के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

2. मु०अ०सं०– 50/2026, धारा– 108, 351(3) बी.एन.एस. व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी.एक्ट, थाना–कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद में अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह का इस आशय का दाखिल किया गया है कि वह अभियुक्त की पैरोकार मुकदमा है और हालात मुकदमें से वाकिफ है। अभियुक्त का न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इससे पूर्व न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा. उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है, न ही निरस्त हुआ है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उपरोक्त मुकदमें में झूठा व साजिशन की फंसाया गया है। प्रार्थी व मृतका नीलम बालिग थे व एक दूसरे से प्रेम करते थे व शादी करना चाहते थे। जिससे मृतका नीलम के घर वाले नाखुश थे। जिस कारण मृतका नीलम मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वर्णित कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का कोई भी अपराध नहीं बनता

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.06.17 15:08:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। प्रार्थी का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। घटनास्थल पर एक सुसाइट नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें मृतका नीलम द्वारा मोबाइल को लेकर घर वालों द्वारा झगड़ा करना व मानसिक स्थिति खराब होने व मरने की बात अंकित की है। विवेचक महोदय द्वारा मात्र सी०डी०आर० के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया, जबकि मृतका स्वयं घर वालों से छुपकर प्रार्थी से मोबाइल पर बात करती थी। गवाहों के बयानों में विरोधाभाष है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में ज्योति पत्नी गुरजीत द्वारा सर्वप्रथम नीलम को जली अवस्था में देखा व मृतका नीलम द्वारा गोपाल द्वारा जलाने का कथन करना बताया है, जबकि ज्योति पत्नी गुरजीत द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में प्रार्थी को न ही घटना कारित करते हुए देखा व न ही मृतका नीलम द्वारा प्रार्थी के नाम का उल्लेख किया है। कथित घटना के समय प्रार्थी घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। घटना के समय प्रार्थी अवीरा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी सेक्टर–60 नोएडा में काम कर रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गई है, विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण वादी द्वारा नहीं दिया गया है। प्रार्थी दिनांक–04.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा गवाहों को डराने व धमकाने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी द्वारा जमानत पर रिहा होने के पश्चात् फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः दौरान विचारण प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त गोपाल द्वारा वादीमुकदमा की वहन नीलम को फोनकाल पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया, जिस कारण पीड़िता/मृतका ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका को जली अवस्था में उसके परिवारीजन के द्वारा उपचार हेतु सीएचसी कायमगंज ले जाया गया था। स्थिति अत्यधिक गम्भीर होने के कारण उपचार हेतु सैफई पीजीआई इटावा रेफर किया गया। जहां पर मृतका नीलम के उपचार के दौरान मृत्युपूर्वकालिक बयानो को दर्ज किया गया तदुपरान्त मृतका को उपचार हेतु के०जी०एम०यू० मेडिकल कालेज, लखनऊ रेफर किया गया जहाँ पर उपचार के दौरान मृतका नीलम की दिनांक 01.03.2026 को मृत्यु हो गयी। अभियुक्त की मानसिक स्थिति अपराधिक किस्म की है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 24.02.2026 की समय लगभग दोपहर एक बजे की है। आवेदक/अभियुक्त गोपाल पर वादी की बहन नीलम को मोबाइल पर बात करके आग लगाकर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पीड़िता/मृतका

नीलम की उपचार के दौरान के०जी०एम०यू० मेडिकल कालेज, लखनऊ में दिनांक 01.03.2026 को मृत्यु हुई है। मृतका द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में अभियुक्त गोपाल द्वारा जलाये जाने का कथन किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी – SUPERFICIAL TO DEEP SEPTIC BURN WOUND PRESENT ON ALL OVER BODY EXCEPT BACK OF HEAD AND BOTH SOLE, SINGING OF HAIR PRESENT. PUS SLOUGH PRESENT IN WOUND. ON SECTION CUTTING OF BOTH LUNGS, LIVER, SPLEEN AND BOTH KIDNEY CONTAIN MULTIPLE PUS FOCI SEEN. ABOUT 2.2 LITRE SEROUS FLUID PRESENT IN ABDOMINAL CAVITY. तथा चिकित्सक की राय में मृत्यु का कारण SEPTICEMIA ANTEMORTEM BURN INJURY अंकित है।

सी.डी.आर. का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अभियुक्त गोपाल के मो०नं० 8287162388 से वादी की माँ मिथलेश के मोबाइल नम्बर 9369511801 (जिसे मृतका नीलम द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था) पर 112 बार इन्नकमिंग काल के माध्यम से दिनांक 01.02.2026 से 25.02.2026 के मध्य काल किया जाना पाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्वयं बचाव पक्ष द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त गोपाल एवं मृतका के मध्य प्रेम–सम्बन्ध थे एवं उनके मध्य पोन पर बातचीत होती थी। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अन्य तथ्य साक्ष्य का विषय है। इस तरह से अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के विचारोपरान्त एवं आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मु०अ०सं०– **50/2026**, धारा– **108, 351(3) बी.एन.एस. व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी.एक्ट**, थाना–**कायमगंज**, जनपद **फर्रुखाबाद** में अभियुक्त **गोपाल** की तरफ से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 609/2026 **खारिज** किया जाता है।

जमानत आदेश की प्रति अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए तथा विद्वान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद एवं अधीक्षक, जिला कारागार, फर्रुखाबाद को जमानत आदेश की एक–एक प्रति ई–मेल के माध्यम से भेजी जाए।

दिनांकः–17.06.2026

(**तरूण कुमार सिंह – I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–02/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रूखाबाद।